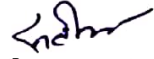


हाथी कोरीडर/अभ्यारण्य/सेंचुरी की 10 किमी० की परिधि के बाहर होने सम्बन्धी  
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के०वी० आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन को ग्राम उदयपुरा, तहसील- इगलास के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० 12.150, ग्राम-चौधाना, तहसील- खैर के अन्तर्गत पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग (एस०एच०-22ए) किमी० चैनेज 62.711 एवं ग्राम-उटवारा, तहसील- खैर के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल की कमशः 0.1441 हे०, 0.1359 हे० एवं 0.2664 हे० कुल 0.5464 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं अवस्थित 36 वृक्षों के पातन की अनुमति के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि कोई हाथी कोरीडर/अभ्यारण्य/सेंचुरी की 10 किमी० की परिधि के बाहर आती है।

  
(सतीश कुमार)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
अलीगढ़।  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
अलीगढ़  
Date: 13/02/2020